RESEARCH PAPER

RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
e-ISSN: 2455-3085 | Vol.06 | Iss.10 | October 2021 | pp. 124-126
Double-Blind Peer Reviewed/Refereed Journal

Awareness of women's rights in Gandhiji's thoughts
गाँधीजी के विचारों में स्त्री अधिकारों के प्रति जागरुकता

*Aparna Vats

Associate Professor, Department of History, Raghunath Girl's Post Graduate College, Meerut

Abstract in English

In Gandhiji's thoughts, both men and women had equal place. He has described both of them as companions and complements of each other, but in some areas, women are also considered above men. Gandhiji always adopted a respectful attitude towards women. Gandhiji strongly supported the rights of women in all walks of life. The efforts made for women empowerment are clearly reflected in Gandhiji's thoughts and activities.

Keywords: *Mutual complement, nature-given, monotheistic tradition, half-breed, equivalence, spiritual power*

Abstract in Hindi

गाँधीजी के विचारों में स्त्री और पुरुष दोनों का समान स्थान रहा। उन्होंने दोनों को एक–दूसरे का सहयोगी और पूरक बताया है बल्कि कुछ क्षेत्रों में स्त्री को पुरुष से ऊपर भी माना है। गाँधीजी ने महिलाओं के प्रति हमेशा सम्मानजनक दृष्टिकोण अपनाया। जीवन के सभी क्षेत्रों में नारी के अधिकारों का सशक्त समर्थन गाँधीजी ने किया। नारी सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रयास गाँधीजी के विचारों और क्रियाकलापों में भी स्पष्ट परिलक्षित होते हैं।

Keywords: *परस्पर पूरक, निसर्गदत्त, अद्वेतवादी परंपरा, अर्धांगिनी, समकक्षता, आत्मिक शक्ति।*

Article Publication

Published Online: 13-Oct-2021

***Author's Correspondence**

Aparna Vats

Associate Professor, Department of History, Raghunath Girl's Post Graduate College, Meerut

aparmavats2411[at]gmail.com

10.31305/rrijm.2021.v06.i10.020

© 2021The Authors. Published by RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

गाँधीजी के विचार में स्त्री और पुरूष के पूर्णतः समान अधिकार हैं। हमारे देश की लगभग आधी जनसंख्या स्त्रियों की है। अतः उनकी उन्नति के बिना भारत के उज्जवल भविष्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। गाँधीजी की दृष्टि में स्त्री और पुरूष एक दूसरे से पृथक न होकर परस्पर पूरक हैं। वे एक दूसरे के सक्रिय सहयोग के बिना जीवित नहीं रह सकते।[1]

पुरूष निर्मित व्यवस्था में स्त्री को निर्बल ही माना गया है जोकि पुरूष की सहायता के बिना अपनी रक्षा और जीवन–यापन भी नहीं कर सकती। लेकिन भारतीय नारी की प्रतिष्ठा, जीवन एवं अधिकारों में आमूल क्रांति लाने का सर्वाधिक श्रेय गाँधीजी को ही है। गाँधीजी ने भारतीय स्त्रियों को पारिवारिक तथा सार्वजनिक जीवन में योग्य स्थान दिलाने में जो कर्म किया है वह किसी अन्य ने नहीं किया। गाँधीजी का कहना था कि निःस्वार्थ सेवा का निसर्गदत्त भावना के बारे में तो पुरूष कभी भी स्त्रियों की बराबरी नहीं कर सकता।

गाँधीजी कहते हैं कि स्त्रियों के अधिकारों के बारे में कोई समझौता नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जो कानूनी अधिकार पुरूष को प्राप्त हैं, उनसे नारी वंचित रहे। गाँधीजी का कहना था कि स्त्री और पुरूष एक दरजे के हैं।[2]

गाँधीजी जी का कहना है कि मनुष्य की शक्ति से अभिप्राय केवल शारीरिक बल अथवा पाशविक बल नहीं है किंतु यदि शक्ति अभिप्राय नैतिक शक्ति से है तो स्त्री पुरूषों से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। अद्वैतवादी परम्परा के अनुसार गाँधीजी कहते हैं कि स्त्री–पुरूष दोनों में उसी आत्मा का वास है, और दोनों का जीवन समान है। दोनों में समान भावनाएँ हैं। उनका कहना है कि समानता का संस्कार बचपन से ही प्रारम्भ होता है। वह कहते हैं कि मैं पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं समझता। मेरी दृष्टि में भेद करना द्वेष–बुद्धि का परिचायक है, और गलत है।[3]

वह मानते थे कि शास्त्रों का शब्दशः पालन आवश्यक नहीं उनके अनुसार जब–जब शास्त्रों में विरोधी कथन पाये जाये उन्हें तर्क और नैतिकता की कसौटी पर खरा उतरने पर ही स्वीकार करना चाहिए।[4] इस संदर्भ में मनुस्मृति के संबंध कथन को गाँधीजी स्वीकार नहीं करते जिसमें कहा गया है कि ''स्त्रियाँ कभी स्वतंत्र नहीं'' उन्हें सदैव पुरूषों के अधीन रहना चाहिए। वो कहते हैं कि हमारे प्राचीन साहित्य में अनेक स्थानों पर पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है जिसमें न केवल सम्मान का भाव झलकता है बल्कि समानता और समकक्षता का भी बोध होता है।[5] गाँधीजी स्त्री को समाज में उचित स्थान दिलाने के लिए उसे समान रूप से स्वतंत्रता का अधिकारी बताते हैं। वय प्राप्त पुरूष जितना स्वतंत्रता का अधिकारी है, उतनी स्त्री भी है।[6]

कानून के क्षेत्र में गाँधीजी नारी को पुरूष के समान ही अधिकार देने का समर्थन करते हैं। राजनीति, सम्पत्ति, विवाह, पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन में नारी को वे ही कानूनी अधिकार प्राप्त होने चाहिए जो पुरूष को प्रदान किये गये हैं। इसलिए गाँधीजी ने माताव्–पिता की सम्पत्ति में पुत्र और पुत्री के समान अधिकार को स्वीकार किया। वे वैवाहिक संबंध–विच्छेद के विषय में भी स्त्री और पुरूष को पूर्ण रूप से समान अधिकार देने के पक्ष में हैं। उनका कथन है कि शिक्षा प्राप्त करने के अनुपात के अनुसार ही नारी अपने कानूनी अधिकारों के प्रति अधिकाधिक जागरूक होती जायेगी और इस तरह वह इस संबंध में अपने साथ होने वाले भेदभाव का दृढ़तापूर्वक विरोध करेगी।[7]

गाँधीजी ने स्त्रियों में चेतना और आत्म विश्वास जागृत करने की दृष्टि में शिक्षा के महत्व पर आग्रह किया हैं इसके लिए गाँधीजी भारत की राजनीति में नारी के सक्रिय भाग लेने को आवश्यक मानते थे। वे कहते हैं कि राजनीति में भाग लेकर स्त्रियाँ न केवल अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सफल प्रयास कर सकती हैं, अपितु देश की राजनीति को भी शुद्ध तथा अंहिसात्मक बना सकती हैं। उन्होंने लिखा है कि नारी त्याग और कष्ट सहिष्णुता की सजीव प्रतिमा है। अतः सार्वजनिक जीवन में उसका प्रवेश राजनीति को शुद्ध बनाएगा और राजनीतिज्ञों की असीम महत्वकांक्षा तथा सम्पत्ति एकत्र करने की इच्छा को सीमित करेगा।[8] गाँधीजी ने राजनैतिक कार्यक्रमों में स्त्रियों की सहभागिता को प्रेरित किया। गाँधीजी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन में स्त्रियों के सहयोग से कई दूरगामी स्थायी प्रभाव सामने आए।

गाँधीजी का दृढ़ विश्वास था कि अहिंसक समाज–व्यवस्था में नारी को चरम उत्कर्ष के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे वातावरण में आत्मिक शक्ति की अभिव्यक्ति के लिए अधिक से अधिक गुंजाइश है। इस आत्मिक शक्ति की सबसे बड़ी प्रतीक है–नारी! इसलिए पुरूष यदि युद्धों और संघर्षों का निर्माता है तो नारी शांति की दूत है। गाँधीजी का विश्वास था कि विश्व शांति की स्थापना में नारी का योगदान सर्वोपरि हो सकता है। नारी ही पुरूष को शांति की कला सिखा सकती है।

नारी की स्थिति के अन्तर्गत बाल–विवाह के बारे में गाँधीजी का विचार था कि बाल–विवाह से उन्हें घोर घृणा है।[9] बाल–विधवा के पुनः विवाह के पक्ष में गाँधीजी थे।[10] उनका संघर्ष बाल–विवाह के उन्मूलन की ओर था। बाल–विवाह को वे एक अनैतिक और अमानवीय कृत्य मानते थे।[11]

गाँधीजी के विचार में दहेज प्रथा की कड़ी निन्दा की गई और कहा कि यह स्त्रियों को बेचने के अतिरिक्त कुछ नहीं[12] अभिभावकों को वे सलाह देते थे कि यदि आवश्यकता हो तो दूसरे क्षेत्र तथा जाति के सुपात्र वर मिलने पर अपनी पुत्रियों का विवाह कर देना चाहिए। जातिगत रूढियों में जकड़े हिन्दू समाज में स्त्रियों की स्थिति सुधारने हेतु जाति–व्यवस्था में इस प्रकार के मूलभूत परिवर्तन का प्रतिपादन निश्चय ही गाँधी की प्रगतिशीलता एवं साहस का द्योतक है।

अंततः नारी के संबंध में गाँधीजी के विचारों तथा क्रियाकलापों को भिन्न–भिन्न स्तरों पर देखा जा सकता है। गाँधीजी समाज में प्रचलित व्यवस्था की दृष्टि से कई अवसरों पर परिवर्तन के अधिक निकट नजर आते हैं।

गाँधीवादी आन्दोलनों में नारी की सहभागिता के फलस्वरूप स्त्रियों में आत्मविश्वास विकसित हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र में स्वयं उनके सशक्तिकरण की प्रक्रिया भी मजबूत हुई। महिलावादी लेखन में भी नारी के आत्म–विश्वास एवं घर–बाहर के कार्य–क्षेत्र की विभाजन–रेखा लाँघने की प्रक्रिया को नारी के सशक्तिकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है।

सन्दर्भ सूची –

1. सलैक्शन्ज फ्राम गाँधी – सम्पादक निर्मल कुमार बोस–नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद–1960
2. सच्ची शिक्षा – गाँधी जी, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद–1950, पृ0 184
3. हरिजन – दिनांक 05.06.1937
4. हरिजन – दिनांक 28.11.1936, यंग इण्डिया, 24.03.1927
5. हरिजन – दिनांक 28.11.1936
6. भारत के पुनर्निर्माण में गाँधी जी का योगदान–डॉ0 वीरेन्द्र शर्मा, श्री पब्लिशिंग हाऊस, दिल्ली–1984, पृ0 223
7. हिन्दू धर्म, सम्पादक – भरतन कुमारप्पा – पृष्ठ–428
8. वही, पृष्ठ–428
9. यंग इण्डिया – 21.07.1921
10. यंग इण्डिया – 21.08.1926
11. यंग इण्डिया – 27.08.1925
12. यंग इण्डिया – 27.12.1938 – हरिजन 23.05.1936